(लोक सभा द्‌वारा 26-6-2019 को पारित रूप में)

2019 का विधेयक संख्यांक 93-सी

[दि स्पेशल इकोनोमिक जोन (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005
का संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्‌वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2005 का 28

धारा 2 का संशोधन ।

2. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (फ) में,-

(i) "स्थानीय प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात्, ", न्यास या कोई अस्तित्व, जो केंद्रीय सरकार द्‌वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "प्राधिकारी या कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकारी, कंपनी, न्यास या अस्तित्व" शब्द रखे जाएंगे ।

2019 का अध्यादेश सं. 12

निरसन और व्यावृत्तियां ।

3. (1) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को इसके द्‌वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

MGIPMRND—904LS(CRC)—26-6-2019.